राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
मध्यप्रदेश

लिंक रोड 03, पत्रकार कॉलोनी के सामने, भोपाल म.प्र.

क्र.–7 / टीकाकरण / 2021 / 507 भोपाल, दिनांक 24/04/21

प्रति,

समस्त मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी,
समस्त जिला टीकाकरण अधिकारी,
मध्यप्रदेश ।

विषयः–निजी एवं औद्योगिक संस्थानों में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के नागरिको के कोविड–19 टीकाकरण के संबंध में।

संदर्भः–भारत सरकार का पत्र क्र / DO NO.1920764/2020 IMM/DATE 23-04-2021

----000----

भारत सरकार के संदर्भित पत्र के माध्यम से यह अवगत कराया गया है कि 1 मई 2021 से समस्त निजी संस्थान जिनपर कोविड–19 सत्रों का आयोजन किया जा रहा है, उन निजी एवं औद्योगिक संस्थानों को अब कोविड–19 टीकाकरण सत्र आयोजित किये जाने हेतु वैक्सीन की **उपलब्धता वैक्सीन निर्माता से स्वयं क्रय कर सुनिश्चित करनी होगी।**

अतः पुर्व निर्देशानुसार मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के माध्यम से उपलब्ध करायी जा रही कोविड–19 वैक्सीन पर **तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।**

अतः आप को यह निर्देशित किया जाता है कि आप समस्त निजी एवं औद्योगिक संस्थानों को उपरोक्तानुसार अवगत कराया जाना सुनिश्चित करें। साथ ही 1 मई 2021 से प्रदेश में प्रारंभ हो रहें कोविड–19 टीकाकरण के तृतीय चरण अंतर्गत 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के नागरिको का कोविड–19 टीकाकरण के सत्र आयोजित कराये जाने हेतु निजी एवं औद्योगिक संस्थानों को प्रोत्साहित करें । सत्र की स्थापना एंव संचालन किये जाने हेतु दिशा–निर्देश (कोविन पोर्टल) पुर्वानुसार होंगे।

संलग्नः संदर्भित पत्र
मिशन संचालक द्वारा अनुमोदित

(डॉ. संतोष शुक्ला)
राज्य टीकाकरण अधिकारी
मध्यप्रदेश

पृ.क्र.–7 / टीकाकरण / 2021 / 508 भोपाल, दिनांक : ....

प्रतिलिपिः– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु–

1. अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य, मध्यप्रदेश शासन।
2. आयुक्त स्वास्थ्य,संचानालय स्वास्थ्य सेवायें,भोपाल।
3. मिशन संचालक,राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, मध्यप्रदेश।

24/4/2021
राज्य टीकाकरण अधिकारी
मध्यप्रदेश